प्रेषक,

बी0पी0 गुप्ता
उप सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तरांचल, देहरादून

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 12 जून, 2006

विषय:- अनुदान सं0-27 में राज्य सेक्टर- आयोजनागत पूंजीगत पक्ष में वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि.1094/8-1(भवन), दिनांक 26 मई, 2006, शासनादेश संख्या-311/दस-2-2006-12(45)/2005 टी0सी0, दिनांक 30 जनवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या-1410/दस-2-2006-12(45)/2005 टी0सी0, दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा गत वर्ष अवमुक्त धनराशि के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत नैनीताल स्थित हनुमान गढ़ी तथा ओक पार्क में भवनों के स्थल विकास कार्य शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन/ प्राक्कलन/ लागत (130.42 + 18.28) रू0 148.70 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल धनराशि (68.98 + 14.43) रू0 83.41 लाख (रू0 तिरासिस लाख इकतालिस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा, तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी.
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य से प्रारम्भ न किया जाय.
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय.
4. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय.
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें.
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें. निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय.
7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय.
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय.
9. सी0पी0 डब्लू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा.
10. किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण की विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत मानक एवं नार्म्स के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एवं डिग्री

..2

कालेजों/मेडिकल के हॉस्टलों का निर्माण एन0आई0सी0 के मानकों के आधार पर प्रारम्भिक आगणन गठित किया जाय.

11. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.

12. उक्त धनराशि का समायोजन एवं व्यय पूर्व में स्वीकृत शासनादेश दिनांक 30 जनवरी, 2006 एवं दिनांक 28 मार्च, 2006 में दी गयी स्वीकृति से किया जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-141/XXVII(4)/2006 दिनांक 07 जून, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या-2981(1)/वन-2-2006, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तरांचल शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन.
6. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तरांचल, विधान भवन, देहरादून.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/जिलाधिकारी नैनीताल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. श्री डी0के0 पाण्डेय, उप महाप्रबन्धक, ई0पी0आई0, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि किसी भी कार्य दिवस में शासन से सम्पर्क कर प्रश्नगत मार्गों के संशोधित आगणन/ आंकलित लागत [illegible] विवरण प्राप्त कर लें.
15. गार्ड फाइल (जे).

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर सचिव